भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000

Rs. 25000

पच्चीस हजा... ...EES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 232429

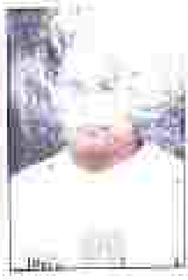

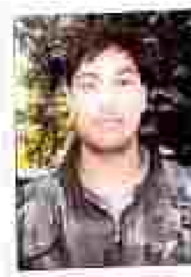

प्रथम

!! सत्यमेव जयते !!

लेखपत्र दानपत्र (हिबेनामा) का संक्षिप्त विवरण :-

1. स्टाम्प हेतु मालियत : 40,00,000/-रु.
2. स्टाम्प : 2,80,000/-रु.
3. स्थित : मौजा महुअन तहसील व जिला मथुरा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 232430

4. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) : सड़क से दूर स्थित है।

5. सम्पत्ति का प्रकार : कृषि भूमि

6. दान की गयी भूमि रकबा : 1.000 (एक) हैक्टेअर

7. उक्त क्षेत्र की जमीन का सरकारी रेट - 40,00,000/-रु. प्रति हैक्टेअर कार्य क्षेत्र उपनिबंधक प्रथम मथुरा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत INDIA

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 232431

17 DEC 2012

(3)

दानदाता प्रथम पक्ष का विवरण - 6

नाम : नरेन्द्र सिंह व सत्यपाल सिंह व राजपाल सिंह पुत्रगण स्व0 श्री सोरन सिंह व श्रीमती मुख्त्यारी पत्नी श्री सोरन सिंह व नेत्रपाल सिंह पुत्र स्व0 सोरन सिंह व श्रीमती रामवती पत्नी स्व0 सोरन सिंह निवासीगण ग्राम महुअन तहसील व जिला मथुरा।

दानगृहीता द्वितीय पक्ष का विवरण - 1

नाम : एस0 एम0 बी0 एल0 एकेडमी महुअन तहसील व जिला मथुरा द्वारा सचिव श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री सोरन सिंह निवासी ग्राम महुअन तहसील व जिला मथुरा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

INDIA

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

C 232432

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

जो कि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी नकल खतौनी फसली वर्ष 1415–1420 के अनुसार खाता खतौनी संख्या 146 खसरा नंबर 127 रकबा 1.3620 हैक्टेअर लगानी कागजातानुसार, वाके मौजा महुअन तहसील व जिला मथुरा, में हिस्सा रकबा 1.0120 हैक्टेअर सम्पूर्ण अंश मिल्कीयत प्रथम पक्ष की है, जिस पर प्रथम पक्ष बहैसियत मालिक, काबिज व दखील चले आते है तथा प्रथम पक्ष का ही उक्त आराजी भूमि पर कब्जा है तथा प्रथम पक्ष का ही नाम दर्ज कागजात सरकारी खसरा खतौनी में है और प्रथम पक्ष को उक्त कृषि भूमि की बाबत पूरे मालिकाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त है तथा सिवाय

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

C 232433

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17 DEC 2012

(5)

प्रथम पक्ष के उक्त कृषि भूमि का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है और न किसी जगह रहन व गिरवी आदि है, न किसी सरकारी संस्था या बैंक आदि में बंधक है तथा ऐसा कोई व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है जो प्रथम पक्ष को उक्त कृषि भूमि के हस्तान्तरण व दान(हिबे) आदि करने में व्यवधान डाल सके। यानि प्रत्येक प्रकार के झगडे-झंझट, कर्जे आदि से पाक-साफ प्रथम पक्ष की सम्पत्ति है। प्रथम पक्ष दानदाता शिक्षा प्रेमी है एवं शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु यथाशक्ति शिक्षा क्षेत्र में मदद करता चला आ रहा है एवं द्वितीय पक्ष एक शिक्षण संस्था

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 232434

है, जो शिक्षा के प्रचार-प्रसार व उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय/कॉलेज की स्थापना हेतु कार्यरत व प्रयासरत है, द्वितीय पक्ष को शिक्षा के प्रचार-प्रसार व उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय/कॉलेज को खोलने एवं संचालन हेतु भूमि की आवश्यकता है, जिसकी बाबत द्वितीय पक्ष दानगृहीता ने प्रथम पक्ष दानदाता के समक्ष अपनी शिक्षा संस्था उपरोक्त हेतु दान देने हेतु प्रार्थना की, तो प्रथम पक्ष दानदाता ने शिक्षा क्षेत्र में उक्त संस्था द्वारा किए गए कार्यों एवं प्रयासों से संतुष्ट होकर अपनी उक्त आराजी भूमि रकबा 1.0120 में से रकबा 1.000 (एक) हैक्टेअर को

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

C 232435

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

द्वितीय पक्ष को दान देने का निर्णय लिया, जिसे दानदाता प्रथम पक्ष ने स्वीकार कर लिया है। अतः प्रथम पक्ष दानदाता ने अपनी उक्त आराजी भूमि रकबा 1.0120 में से रकबा 1.000 (एक) हैक्टेयर जिसको संलग्न नक्शे में रंग लाल से दिखाया गया है, को समस्त हक्कूक व अधिकारों सहित जो प्रथम पक्ष दानदाता को प्राप्त है अथवा भविष्य में प्राप्त हो यानि कुल को बिना छोड़े किसी भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध के मय राईट्स समस्त हक्कूक व अधिकारों सहित बखुशी व राजी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 232438

अपने, कि जो सरकारी मालियती 40,00,000/-रु. (चालीस लाख रुपये) है, बहक द्वितीय पक्ष एस0 एम0 बी0 एल0 एकेडमी महुअन तहसील व जिला मथुरा द्वारा सचिव श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री सोरन सिंह निवासी ग्राम महुअन तहसील व जिला मथुरा दान गृहीता द्वितीय पक्ष के हक में

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 232437

दान(हिबे) कर दिया व दे दिया और कब्जा व दखल दान(हिबे) की गयी कृषि भूमि पर द्वितीय पक्ष दानगृहीता शिक्षण संस्था का वास्तविक कब्जा मालिकाना प्रथम पक्ष ने आज से अपने समान करा दिया और अपना कब्जा हटा लिया तथा द्वितीय पक्ष दानगृहीता ने उक्त भूमि रकबा 1.000 (एक) हैक्टेअर पर दान स्वीकार करते हुए अपना कब्जा व दखल मालिकाना प्राप्त करना स्वीकार कर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 232436

17 DEC 2012

लिया और कब्जा व मालिकाना प्राप्त कर लिया। आज से द्वितीय पक्ष संस्था उक्त दान(हिबैं) की गयी कृषि भूमि की एकमात्र स्वामिनी व मालिक प्रथम पक्ष के समान हो गयी। वह समस्त अधिकार मालिकाना व हस्तान्तरण आदि उक्त दान की गयी आराजी भूमि की बावत प्रयोग में लावे, उस पर ऋण लेवे, विक्रय करे और जिस प्रकार से चाहे प्रयोग करे और अपना नामान्तरण सरकारी कागजात

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

AC 373088

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

खसरा खतौनी में प्रथम पक्ष के स्थान पर दर्ज करावे और जो चाहे सो करे।
अब प्रथम पक्ष का दान(हिबै) किये गये उक्त कृषि भूमि में कुछ भी हक व हिस्सा
व सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न कभी आयन्दा भविष्य में कदापि
होगा। अगर कभी कोई व्यक्ति या प्रथम पक्ष का वारिस, दान(हिबै) किये गये
उक्त कृषि भूमि की बाबत कोई दावा या झगड़ा उत्पन्न करे तो ऐसी दशा में
प्रथम पक्ष की पूरी जिम्मेदारी होगी तथा कोई दावा या झगड़ा या झंझट होता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

AC 373078

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

की भूमि नहीं है। उक्त दान की गयी भूमि में कोई पेड़, बोरिंग, कुँआ, ट्यूबवैल आदि नहीं है। दानदाता प्रथम पक्ष अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य नहीं

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत INDIA

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

AC 373079

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(14)

है। उक्त दान की गयी भूमि में कृषि कार्य हो रहा है और कृषि के उपयोग में ही आ रही है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 373086

अतः यह दानपत्र (हिबैनामा) हम दोनों पक्षों ने बखुशी बराजी स्वेच्छापूर्वक लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे। मुकर्रिर है कि उक्त दस्तावेज पक्षगणों के कहे अनुसार तैयार व टाईप किया गया है, जिसको पक्षगण व गवाहों के समक्ष पढ़कर सुनाया गया है,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 373087

पक्षगण व गवाहान ने पढ़कर सुनकर समझकर दस्तावेज पर निष्पादन एवं स्वीकृति के हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा किए हैं।

दिनांक : 17.12.2012
टाईप किया : के० के० शर्मा, मथुरा।
ड्राफ्ट किया : मनोज चौधरी, एड्वोकेट, मथुरा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 373089

10 DEC 2012

है तो वह इस प्रलेख दानपत्र के आगे कानूनन नाजायज व अमान्य माना जावेगा। विक्रयशुदा भूमि किसी भी ग्रामसभा सीलिंग भूदान आदि के पट्टा आवंटन